रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2014/कार्तिक 29, 1936
No. 274] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2014/KARTIKA 29, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2014

विषय : यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, सऊदी अरब, चीनी ताइपेई और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "2-इथाइल हेक्सानोल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत

फा .सं. 14/24-2014/डीजीएडी.—यत :मैसर्स आन्ध्रा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे "याचिकाकर्ता" या "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के साथ पठित समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975, (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) के अनुसार एक आवेदन दायर किया है जिसमें यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, साऊदी अरब, चीनी ताइपेई और यूएसए (जिन्हें आगे संबद्ध देश/क्षेत्र भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "2-इथाइल हेक्सानोल" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या "2-ईएच" भी कहा गया है) के कथित पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मात्रा और सीमा के निर्धारण तथा संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातित संबद्ध वस्तु पर पाटन रोधी शुल्क लगाने के पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पादन

2. इस जांच में विचाराधीन "2-इथाइल हेक्सानोल" उत्पाद है। 2-इथाइल हेक्सानोल (जिसका संक्षिप्त नाम 2-ईएच है) एक मूल कार्बनिक रसायन है। यह एक वसायुक्त एल्कोहल, साफ, सचल, निष्क्रिय तरल है, जिसकी एक अलग गंध होती है। 2-ईएच का उत्पादन विलायक, फेलवरो और सुगन्धों तथा विशेष रूप से इमोलियन्टस और प्लास्टीसाइजरों जैसे अन्य रसायनों के उत्पादन हेतु प्रणेता अनेक अनुप्रयोगों में भारी मात्रा में किया जाता है। 2-इथाइल हेक्सानोल का मुख्य अनुप्रयोग कम अस्थिरता वाले इस्टरों के विनिर्माण में एक फीड-

स्टॉक के रूप में होता है जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण डीआई-(2-इथाइल हेक्साइल) और थेलेएट (डीओपी या डीईएचपी) हैं। इस उत्पाद को सीमा-शुल्क टैरिफ शीर्ष संख्या 29051620 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

3. आवेदक ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद जिसका संबद्ध देशों/क्षेत्रों से भारत में निर्यात किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित 2-इथाइल हेक्सानोल और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रसायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। उपभोक्ता इन दोनों को एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और इसलिए पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत इन्हें "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना जाता है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

4. यह आवेदन मैसर्स आन्ध्रा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक है। यह भी नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पादन का आयात नहीं किया है और न ही वह विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या निर्यातक से संबद्ध है। अत :यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

घ. संबद्ध देश/क्षेत्र

5. वर्तमान जांच में शामिल देश/क्षेत्र यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, सऊदी अरब, चीनी ताइपेई और यूएसए हैं।

ङ आयातों की मात्रा और न्यूनतम सीमा वाले आयात

6. संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातों की मात्रा की जांच वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस), भारत सरकार के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर की गई है और कुल आयातों में प्रत्येक संबद्ध देश/क्षेत्र के आयातों का हिस्सा निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया है।

च. सामान्य मूल्य

7. याचिकाकर्ता ने यह बताया है कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों के घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तु की कीमत संबंधित सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। तथापि याचिकाकर्ता यह सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा। अत: याचिकाकर्ता ने कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, सर्वोत्तम खपत मानकों, घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागतों तथा लाभ के संगत मार्जिन पर विचार करते हुए सभी संबद्ध देशों/क्षेत्रों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।

छ. निर्यात कीमत

8. याचिकाकर्ताओं ने भारत में आयातित मात्रा और मूल्य के संबंध में डीजीसीआई एण्ड एस के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों/क्षेत्रों से विचाराधीन उत्पादन की निर्यात कीमतों का आकलन किया है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा व्यय और बैंक प्रभारों के लिए परिकलित सामान्य मूल्य के साथ समान स्तर पर उसकी तुलना करने के लिए निवल कारखानागत निर्यात कीमत ज्ञात करने हेतु उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कीमत समायोजन किए गए हैं।

ज. पाटन मार्जिन

9. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों/क्षेत्रों के मूल की अथवा वहां से निर्यात की जा रही संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में याचिकाकर्ता के दावों की जांच की है और प्राधिकारी अपने समक्ष प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर नोट करते हैं कि आवेदक ने इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं कि संबद्ध दशों/क्षेत्रों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु भारतीय बाजार में अपने सामान्य मूल्य से काफी कम कीमत पर प्रवेश कर रही है जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का भारत में पाटन किया जा रहा है जिससे पाटनरोधी जांच की शुरूआत करना उचित सिद्ध होता है। इस प्रकार अनुमानित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है और पर्याप्त हैं।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध

10. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उन्हें वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है और उन्होंने समग्र रूप से संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि, उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग में कमी, लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में गिरावट की दृष्टि से संबद्ध देशों/क्षेत्रों से संबद्ध

वस्तुओं के कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। याचिकाकर्ता ने प्रतिकूल कीमत प्रभाव का भी दावा किया है जैसाकि कीमत में कटौती से सिद्ध होता है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण आवेदक द्वारा क्षति उठाए जाने के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

ञ जांच की शुरूआत

11. चूंकि प्राधिकारी पाते हैं कि आवेदक ने देशों/क्षेत्रों से संबद्ध वस्तु के पाटन; घरेलू उद्योग को क्षति; और पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं इसलिए प्राधिकारी एतदद्वारा कथित "पाटन", यदि कोई हो, की मोजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई "क्षति" को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार जांच की शुरूआत करते हैं।

ट. प्रक्रिया

i. **जांच अवधि**

12. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2013 से 30 जून, 2014 (15 महीने) तक की है। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011; अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012; और अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 तथा जांच अवधि (पीओआई) शामिल होंगी।

ii. **सूचना प्रस्तुत करना**

13. संबद्ध देश/क्षेत्रों के निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से निर्धारित समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

iii. **समय-सीमा**

15. सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिनके पते उपलब्ध हैं, को एक पत्र द्वारा यह सलाह दी जाएगी कि वे प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत करें और अपनी टिप्पणियां लिखित रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करें कि वे इस पत्र की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी को पहुंच जाए। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार जिसका पता उपलब्ध नहीं है भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर टिप्पणियां/सूचना प्रस्तुत कर सकता है। यह सूचना हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी दोनों रूप में प्रस्तुत की जाए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

iv. **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

16. यदि प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में ''गोपनीयता'' का दावा करने के मामले में दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करने होंगे-:

(क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, पृष्ठ संख्या, सूची आदि); और

(ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, पृष्ठ संख्या, सूची आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

17. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का

निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों अंशों की साफ्ट कॉपियां जिनके साथ प्रत्येक की हार्ड कॉपी दो (2) सैट को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

18. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

19. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत :सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

20. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

21. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

22. संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार का उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

v. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी अपगोनीय अनुरोधों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु एक सार्वजनिक फोल्डर में रखा जाएगा। नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

vi. असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे.के .दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2014

Subject: Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of "2-Ethyl Hexanol" originating in or exported from EU, Indonesia, Korea RP, Malaysia, Saudi Arabia, Chinese Taipei and USA.

F.No.14/24/2014-DGAD- Whereas, M/s Andhra Petrochemicals Limited, (hereinafter referred to as 'petitioner' or " the applicant") has filed an application (also referred to as petition) before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) read with Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) alleging dumping of 2-Ethyl Hexanol (hereinafter also referred to as the subject goods or "2-EH") originating in or exported from the European Union, Indonesia, Korea RP, Malaysia, Saudi Arabia, Chinese Taipei and USA (hereinafter

also referred to as the subject countries/territories) and requested for initiation of an Anti Dumping investigations for determination of degree and extent of dumping and injury to the domestic industry and levy of anti dumping duties on the subject goods imported from the subject countries/territories.

A. Product under consideration

2. The product under consideration in this investigation is "2-Ethyl Hexanol". 2-Ethyl Hexanol (abbreviated as 2-EH) is a basic organic chemical. It is a fatty alcohol, clear, mobile, neutral liquid with a characteristic odor. 2-EH is produced on a massive scale for use in numerous applications such as solvents, flavors, and fragrances and especially as a precursor for production of other chemicals such as emollients and plasticizers. Main application of 2-Ethyl Hexanol is as a feed stock in the manufacture of low volatility esters; the most important of it is Di-(2Ethyl hexyl) Phthalate (DOP or DEHP). This product is classified under Customs Tariff heading no. 29051620. However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

B. Like Articles

3. The applicant has claimed that the product under consideration, which is exported from subject countries/territories into India, is identical to the goods produced by the domestic industry. 2-Ethyl Hexanol produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use, and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject good produced by the applicant in India is treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

C. Domestic Industry & Standing

4. The application has been filed by M/s Andhra Petrochemicals Limited. The petitioner is the sole producer of the product under consideration in the country. It is also noted that petitioner has not imported the product under consideration, nor are they related to an importer or exporter of the product under consideration. Therefore, applicant satisfies the requirements of 'standing' under Rule 5 of the AD Rules and constitutes 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

D. Subject Countries/Territories

5. The countries/territories involved in the present investigation are European Union, Indonesia, Korea RP, Malaysia, Saudi Arabia, Chinese Taipei and USA.

E. Volume of Imports and De minimus imports

6. The volume of imports from the subject countries/territories have been examined on the basis of published data of Directorate General Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Govt. of India and the share of imports of each of the subject countries/territories in total imports have been found to be above de minimus level.

F. Normal Value

7. The Petitioner has submitted that efforts were made to get information/evidence of price of subject goods in the domestic markets of subject countries/territories. However, petitioner was not able to get such information. The petitioner has therefore, constructed the normal values for all the subject countries/territories taking into account international raw materials prices, best consumption norms and conversion costs of domestic industry and a reasonable margin of profit.

G. Export Price

8. The petitioner has estimated the export prices of the product under consideration from the subject countries/territories based on DGCI&S published data on volume and value of imports into India. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight expenses and bank charges on facts available basis to arrive at net ex-works export prices for comparison with the constructed normal values at the same level.

H. Dumping Margin

9. The Authority has examined the claims of the petitioner with respect to the Normal Values and Export Prices of the subject goods being exported from or originating in the subject counties/territories and on the basis of prima facie evidence placed before it Authority notes that the applicant has provided sufficient prima facie evidence that the subject goods originating in or exported from the subject countries/territories are entering the Indian market at significantly lower than its Normal Values, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries/territories are being dumped in India, to justify initiation of an antidumping investigation. The dumping margins so estimated are above de minimus and substantial.

I. Injury and Causal Link

10. The petitioner has claimed that they have suffered material injury and have furnished evidence regarding injury having taken place as a result of the alleged dumping of subject goods from subject countries/territories in terms of increase in imports of subject goods in absolute terms, decline in production, sales, capacity utilization, deterioration in profits, return on capital employed and cash profit etc. The petitioner has also claimed adverse price effects as evidenced by price suppression. The Authority considers that there is sufficient prima facie evidence of 'injury' being suffered by the applicant, caused by dumped imports of subject goods from subject countries/territories, to justify initiation of an antidumping investigation.

J. Initiation of Investigations

11. Since the Authority finds that the applicant has produced sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject countries/territories; injury to the domestic industry; and causal link between the dumping and injury, the Authority hereby initiates an investigation in terms of the Rule 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged "dumping", if any, and to recommend the amount of antidumping duties, which if levied would be adequate to remove "injury'' to the domestic industry.

K. Procedure

i. Period of Investigation

12. The period of investigation for the present investigation is from 1st April 2013 to 30th June 2014(15 months). However, the injury investigation period will cover the periods April 2010-March 2011, April 2011 to March 2012, April 2012 to March 2013 and the Period of Investigation (POI).

ii. Submission of information

13. The exporters in subject countries/territories, their governments through their Embassies in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods, would be addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street
New Delhi110001

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

iii. Time limit

15. All known interested parties, whose addresses are available, would be advised through a letter to file questionnaire responses in the form and manner prescribed and to offer their comments in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/ information within 40 days from date of publication of this notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' on record, in accordance with the AD Rules.

iv. Submission of information on confidential basis

16. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto) before the authority, including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

(a) One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

(b) The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

17. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.

18. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by

nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summarized form, it may disregard such information.

21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof, or without a good cause statement on the confidentiality claim, shall not be taken on record by the Authority.

22. The Authority, on being satisfied and after accepting the need for confidentiality of the information provided by one party, shall not disclose it to any other party without specific authorization of the party providing such information.

v. Inspection of Public File:

23. All non-confidential submissions made by the interested parties shall be placed in a public folder for inspection by other interested parties. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non- confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

vi. Non-cooperation

24. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it may deem fit.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.